(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. केन्द्र ग्वालियर म.प्र.

PBR/निगरानी/मन्दसौर/भू-रा/2017/2399

प्रकरण क्र. /2017 निगरानी

1) कालुसिंह पिता भगवानसिंह सोंधिया राजपूत,
2) नेनसिंह पिता भगवानसिंह सोंधिया राजपूत,
निवासीगण --ग्राम नाथखेड़ी तहसील सुवासरा
जिला मंदसौर म.प्र. ....आवेदकगण

विरूद्ध

1) जोरावरसिंह पिता कानसिंह सोंधिया राजपूत,
2) देवीसिंह पिता कानसिंह सोंधिया राजपूत,
3) बगतबाई पिता भगवानसिंह सोंधिया राजपूत,
4) सोहनबाई पिता भगवानसिंह सोंधिया राजपूत,
5) सरदारबाई बेवा भगवानसिंह सोंधिया राजपूत,
निवासीगण--ग्राम नाथखेड़ी तहसील सुवासरा जिला
मंदसौर म.प्र. ....अनावेदकगण

21.7.17

श्री दिनेश व्यास अभि. द्वारा प्रस्तुत / 21.7.17

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधिनस्थ योग्य न्यायालय नायब तहसीलदार सुवासरा के प्रकरण क्र. 12/ए-27/2016--17 में पारित आदेश दिनांक 17/07/2017 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणो के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्दरअवधि प्रस्तुत करता है :-

1 यह कि, अधिनस्थ न्यायालय का आदेश जेर निगरानी विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अधिनस्थ योग्य न्यायालय ने बिना किसी उचित एवं वैध कार... के प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन दिनांक 04/02/2017 स्वीकार कर लेने मह... वैधानिक त्रुटि की है।

निरन्तर.

कालूसिंह / जोरावरसिं

XXIX(a)-BR(H)-11

30

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

24

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - PBR / नि / मंदसौर / 17 / 2399 जिला - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर मंदसौर तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 12/A-27/16-17 में पारित आदेश दिनांक 17.7.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर मंदसौर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को कलेक्टर मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	